सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

ऑन लाईन नं. RCMS 2022/117

न्यायालय : अति0 जिला कलक्टर (सतर्कता) श्री गंगानगर।
पीठासीन अधिकारी , आर0ए0एस0
अपील प्रकरण सं0 89/2022

कुलविन्द्र सिंह पुत्र श्री हरबंस सिंह जाति जटसिख निवासी 18 पीटीडी (ए) तहसीलदार रायसिंहनगर हाल निवासी यू.एस.ए. जरिये मुखत्यारखास गुरनाम सिह पुत्र सोहन सिह जाति जटसिख निवासीा 46 आर.बी. तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।

अपीलार्थी

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व, रायसिंहनगर।

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 20.12.2019 व 01.10.2021 तहसीलदार भू0अ0 रायसिंहनगर व उप तहसीलदार भू0अ0 समेजा बअनवान वसीयत प्रकरण संख्या 16/2021 में दिये गये आदेश को अपास्त कर वसीयत दिनांक 20.07.2012 के आधार पर इन्तकाल दर्ज किये जाने के आदेश देने बाबत।

उपस्थित :
1.श्रीमती मंजू गुप्ता अधिवक्ता अपीलार्थी
2.श्री गुरजीत सिंह वानर राजकीय अधिवक्ता

:: आदेश ::

दिनांक :- 27-9-2022

प्रस्तुत अपील का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि "हरबंस सिंह पुत्र सोहन सिंह जाति जटसिख निवासी 18 पीटीडी–ए तहसी रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर के नाम से मुरब्बा नम्बर 06, पत्थर नम्बर 279/344 में 6.199 हैक्टर कमाण्ड भूमि में से 2.066 हैक्टर कमाण्ड भूमि व चक 18 पीटीडी–ए के पत्थर नम्बर 280/348 के मुरब्बा नम्बर 15 में 4.858 हैक्टर कमाण्ड भूमि व पत्थर नम्बर 279/349 का मुरब्बा नम्बर17 में 6.198 हैक्टर कमाण्ड इस प्रकार कुल 11.056 हैक्टर कमाण्ड भूमि में से 3.685 हैक्टर कमाण्ड भूमि है। इस प्रकार दोनो खातो की कुल 5.751 हैक्टर कमाण्ड भूमि की रजिस्टर्ड वसीयत अपीलार्थी के पिता हरबंस सिंह ने अपने जीवनकाल में दिनांक 20.07.2012 को करवा दी थी, हरबंस सिह की मृत्यु हो चुकी है। हरबंस सिंह की मृत्यु के बाद अपीलार्थी द्वारा वसीयत के आधार पर इन्तकाल दर्ज करने का प्रार्थना पत्र तहसीलदार भू0अ0 रायसिंहनगर के यहां पेश किया जिसको दिनांक 20.11.2019 को खारिज कर दिया गया और उसके बाद उप तहसीलदार भू0अ0 समेजा में भी पेश किया जिसे भी खारिज कर दिया गया, और उसमें आधार दिया कि सर्दूल सिंह पुत्र रंगा सिंह जाति जटसिख निवासी 79 एन.पी. के पक्ष में माननीय अपर जिला एंव सेशन न्यायाधीश की डिग्री है जिनकी प्रतियां उसने पेश की है, इस कारण यदि वसीयत के आधार पर इन्तकाल दर्ज किया जाता है, तो न्यायालय की अवमानना के समकक्ष होगा, इस बात को आधार मानते हुए तहसीलदार (भू.अ.) द्वारा प्रार्थी का वसीयत के आधार पर इन्तकाल स्वीकृत करने का प्रकरण खारिज कर दिया गया। जिससे व्यथित होकर अपील पेश की गई है।

अपील से संबंधित रेकार्ड तलब किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अति0 जिला कलैक्टर (सतर्कता)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में कहा है कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि विरूद्ध होने से खारिज किये जाने योग्य है। सर्दूल सिंह नामक व्यक्ति द्वारा जो वाद अपर जिला न्यायाधीश रायसिंहनगर में पेश किया गया था वह फर्जी दस्तावेजों के आधार पर पेश किया था जिसके विरूद्ध एफ.आई. आर भी दर्ज है। सर्दूल सिंह माननीय उच्च न्यायालय से जमानत पर है। सर्दूल सिंह द्वारा आज तक डिग्री के आधार पर बैयनामा की कोई कार्यवाही नहीं की गई है क्योंकि उसने गलत व फर्जी दस्तावेज पेश कर डिग्री प्राप्त की थी। अपीलार्थीगण के पास जो वसीयत है वह रजिस्टर्ड वसीयत है जिसे किसी भी न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं किया गया है। वसीयत के आधार पर इन्तकाल दर्ज किया जावें। सिविल न्यायालय द्वारा अगर इन्तकाल को निरस्त करने बाबत कोई आदेश आता है तो उक्त निर्णय की पालना में इन्तकाल स्वतः ही निरस्त हो जावेगा। अपीलार्थी की जो वसीयत है वह पूर्णतः विधिक है और इस वसीयत के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय को इन्तकाल दर्ज करने के आदेश दिये जाने में कोई विधिक निर्योग्यता नहीं है क्योंकि डिक्रीदार सरदूल सिंह द्वारा अपर जिला न्यायाधीश रायसिंहनगर के यहां दर्ज प्रकरण संख्या 10/2018 में डिक्रीदार द्वारा कोई कार्यवाही नहीं चाहने पर इजराज वापिस ली जा चुकी है। अतः वसीयत के आधार पर इन्तकाल का आदेश दिया जाना न्यायोचित है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर वसीयत दिनांक 20.07.2012 के आधार पर इन्तकाल दर्ज किये जाने के आदेश दिये जावें।

राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि उप तहसीलदार समेजा कोठी का निर्णय दिनांक 01.10.2021 सही है क्योंकि वसीयत के आधार पर नामान्तरण करना माननीय न्यायालय के निर्णय की अवहेलना होगी। अतः उप तहसीलदार समेजाकोठी द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत् है जिसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायसंगत नहीं है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावें।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि तहसीलदार (भू0अ0) रायसिंहनगर एवं उप तहसीलदार समेजाकोठी ने अपने-अपने निर्णयों में माननीय अपर जिला न्यायाधीश रायसिंहनगर के निर्णय दिनांक 06.11.2017 की अवहेलना मानते हुए वसीयत के आधार पर इन्तकाल दर्ज करने के प्रकरणों को निरस्त किया गया है। जबकि **"माननीय अपर जिला न्यायाधीश रायसिंहनगर ने अपने निर्णय दिनांक 06.11.2017 से रजि0 बेचान कराने हेतु प्रतिवादीगण को दो माह का समय दिया जाता है। उक्त अवधि में प्रतिवादीगण द्वारा वादी के हक में रजिस्टर्ड बेचान नहीं कराने पर वादी न्यायालय के मार्फत अपने हक में रजिस्टर्ड बेचान कराने का अधिकारी होगा पारित किया गया था।"** उक्त निर्णय के विरूद्ध डिक्रीदार द्वारा माननीय अपर जिला न्यायाधीश रायसिंहनगर के यहा इजराज प्रकरण संख्या 10/2018 दर्ज करवाया गया था जिसमें डिक्रीदार द्वारा स्वयं प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं चाहने पर इजराज प्रकरण दाखिल दफतर करवाया गया है। अपीलार्थी की वसीयत को किसी भी न्यायालय से अबेट नहीं करवाया गया है। अपीलार्थी की रजि0 वसीयत वर्तमान में स्टेण्ड कर रही है। अतः उप तहसीलदार समेजा कोठी का आदेश दिनांक 01.10.2021 निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि आप दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, विधिसम्मत् निर्णय पारित करें। आदेश की प्रमाणित प्रति उप तहसीलदार समेजाकोठी को पालनार्थ भिजवाई जावें एवं रिकॉर्ड लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 27-9-2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कमला अत्तारिया)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर (सतर्कता)
(सतर्कता) श्रीगंगानगर